संख्या सा-3-272/दस—1994

प्रेषक,

श्री एस0 ए0 टी0 रिजवी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश ।

वित्त (सामान्य)
अनुभाग—3

लखनऊः दिनांक: 18 जुलाई, 1994 ।

विषय :—दो पेंशन-सर्विस पेंशन तथा पारिवारिक पेंशन या उससे अधिक पेंशन प्राप्त कर्ताओं को महंगाई राहत के भुगतान के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या सा-3-585/दस—935-78, दिनांक 16 मई, 1983 में यह व्यवस्था है कि यदि कोई सरकारी पेंशनर दो पेंशन या पेंशन के साथ पारिवारिक पेंशन भी प्राप्त कर रहा है तो उसकी पेंशनों पर राहत की गणना किस प्रकार की जाएगी । उक्त शासनादेश के संदर्भ में विभिन्न स्तरों से शंकायें एवं जिज्ञासायें शासन को प्राप्त हुई । इन शंकाओं एवं जिज्ञासाओं पर भारत सरकार द्वारा अपनाई गई नीति को दृष्टि में रखते हुए सम्यक् रूप से विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि यदि कोई पेंशनर दो पेंशनें यथा दो सेवा पेंशनें या सेवा पेंशन और पारिवारिक पेंशन या इससे अधिक पेंशनें प्राप्त कर रहा है तो महंगाई राहत की गणना समस्त पेंशनों के योग पर की जाएगी ।

2—उपरोक्त व्यवस्था के अनुसार महंगाई राहत के आगणन का एक उदाहरण प्रस्तुत है :—

सेवा/पारिवारिक पेंशन	पेंशन की धनराशि
पहली पेंशन	2150/- रु0
दूसरी पेंशन	1560/- रु0
कुल योग	3710/- रु0

अनुमन्य राहत की धनराशि 2486/- रु0
(1-1-94 के रेडीरेकनर के अनुसार)

3710 रु0 की पेंशन पर अनुमन्य महंगाई राहत (रेडीरेकनर के अनुसार 2486 रु0 आती है । अतः दोनों पेंशनों के योग पर महंगाई राहत रु0 2486 होगी । दूसरे शब्दों में दो या अधिक पेंशनों के योग करने के पश्चात उस पर जो महंगाई राहत निर्धारित दर के अनुसार अनुमन्य होगी, उसी का भुगतान किया जायेगा ।

3—अतः अनुरोध है कि एक से अधिक अनुमन्य पेंशनों पर महंगाई राहत की गणना उपरोक्त व्यवस्था के अनुसार की जाए ।

4—उक्त प्रकार से महंगाई राहत के आगणन की व्यवस्था इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से लागू होगी । जिन मामलों में महंगाई राहत का भुगतान पहले ही हो चुका है, उन्हें पुनरोद्घाटित (Re-open) न किया जाएगा परन्तु जिन पुराने मामलों में अभी तक महंगाई राहत का भुगतान नहीं हुआ है, उन मामलों में इस शासनादेश की व्यवस्था के अनुसार ही आगणन करके भुगतान किया जाएगा ।

भवदीय,
एस0 ए0 टी0 रिजवी,
प्रमुख सचिव ।

संख्या सा-3-272(1)/दस-1994

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1—निदेशक, पेंशन निदेशालय, उ0 प्र0, लखनऊ।
2—समस्त कोषागार, उ0 प्र0।
3—महालेखाकार, उ0 प्र0 प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
4—सचिवालय के समस्त अनुभाग।
5—सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, विधान भवन, लखनऊ।
6—राज्यपाल सचिवालय।
7—सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0 प्र0, इलाहाबाद।

आज्ञा से,
गणेश दत्त दीक्षित,
संयुक्त सचिव।

पी0एस0पू0पी0—ए0 पी0 71 सा0 वित्त-3-8-94-(1106)-1994-12,000(ये क0)।